

आदेश की प्रतिलिपि में आने पर प्रशासनिक कार्य प्रभावित नहीं होगा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प गिली गरी ठाणी

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी के बयान व सहखातेदार के आधार पर राजस्थान न्यू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व धारा 88 आर.टी.एक्ट के अनुसरण में ग्राम गिली गरी ठाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 59 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम / पोहो	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गिली गरी ठाणी	खाता संख्या - 59	पकात्रभड पुसा बापूराम	कैम्प पकात्र उर्फ पकात्रभड पुसा बापूराम

गिली गरी ठाणी का (अगत के) डेटा को दो नोट दर्ज करें

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

(राजेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

दिनांक:- 06.12.21

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 489  
प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान -2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर।

राजेश कुमार मीणा  
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर